राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक-प. ९(१)नविवि/९५ जयपुर, दिनांक- [illegible]

परिपत्र

विषय :- शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय/व्यावसायिक निर्माणों के संबंध में ।

शहरी क्षेत्रों में 15 अगस्त, 1998 तक अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि/स्थानीय निकाय की भूमि पर बसी हुई कच्ची बस्तियों में राज्य कर्मचारी/केन्द्रीय कर्मचारी/निगम मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के कब्जों को नियमन नहीं किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिये गये थे ।

अब इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य कर्मचारी/केन्द्रीय कर्मचारी/निगम/मण्डल/स्वायत्त शासी संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व इसके समकक्ष अन्य कर्मचारियों के कच्ची बस्तियों में दिनांक 15.8.98 से पूर्व के कब्जों का नियमन कर दिया जाए । अतः आदेश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/निगम/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या इसके समकक्ष कर्मचारी से राजस्थान में उसके पास कहीं भी अन्य कोई आवासीय भूखण्ड अथवा भवन नहीं है के बारे में शपथ-पत्र लेने के पश्चात कच्ची बस्ती के नियमन के बारे में जारी पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार घोषित नियमन दरों की दो गुना राशि लेकर नियमन कर दिया जाए ।

दिनांक 15.8.1998 के पश्चात उक्त भूमियों पर अवैध कब्जा करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व इसके समकक्ष कर्मचारियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उन्हें निलम्बित कर दिया जाए । ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जावें । ऐसे अवैध कब्जे जिन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किए गए हों उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाए ।

23.1.02

(एच.एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/ , राज्य मंत्रीगण ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लिख है कि अपने स्तर से निगम/परिषद/पालिकाओं को इसकी प्रति भिजवाने का श्रम करें ।
8. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त
9. रक्षित पत्रावली ।

23.1.02
शासन उप सचिव

(90)
(64)